न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—168/2017/225 (2017/00168)

1. प्रभूलाल पुत्र स्व0 सवाई,
2. देवीलाल पुत्र स्व0 सवाई,
3. हीरालाल पुत्र स्व0 सवाई,

समस्त जाति कुम्हार, नि0 मसूदा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर हाल निवासी सुभाषनगर, गढीवाल चक्की के पास, अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. त्रिलोकचंद पुत्र स्व0 हंगामीलाल, जाति लौहार, नि0 ग्राम सूरजपोल गेट के अन्दर, मसूदा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।
2. भैरू पुत्र कालू (नाम तर्क)
3. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 राजू (तर्क)
4. महावीर पुत्र स्व0 राजू (तर्क)
5. सीता पुत्र स्व0 राजू, (तर्क)
6. गीता पुत्र स्व0 राजू (तर्क)
7. काना पुत्र लादू,

समस्त जाति कुम्हार, नि0 कुम्हार मौहल्ला, मसदू, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा 11.2.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 37/2014.

उपस्थितः—

1. श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः—24.6.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के आदेश दिनांक 11.2.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 6 के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मसूदा, तहसील मसूदा जिला स्थित आराजी खसरा नंबर 329 रकबा 1—19—00 अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा खसरा नंबर 327 रकबा 1—13—00 आराजी की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार वर्तमान अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 6 है तथा खसरा नंबर 323/2 सरकारी आराजी रास्ते के बाबत् काम में चली आ रही है, जो प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की आराजी में आने जाने बाबत् प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 के खसरा नंबरों की एवं रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 6 के खसरा

नंबरों की सींव एक ही है, अर्थात् सींवजोड़ है । अप्रार्थी संख्या1 अपने खेत में ट्रेक्टर, थ्रेसर, ट्रक, चारा, अनाज, खादबीज आदि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 6 के खेत से लाता ले जाता है किन्तु यह रास्ता नक्शा ट्रेस में कटा नहीं होने के कारण वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 6 इस रास्ते से प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 को आने जाने व उक्त साधन आदि लाने में बाधा उत्पन्न करते है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर 15 फुट चौड़ा रास्ता खसरा नंबर 327 व 323/2 से अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 के खेतों पर जाने का रास्ता दिया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 11.2.2017 द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 बावजदू सूचना के अनुपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में अपीलांटस की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों व उच्च न्यायालय द्वारा पारित नजीरों का अवलोकन किये बिना धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अधी0न्याया0 प्रकरण के मूल निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं पाये कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की आराजी खसरा नंबर 329 के लिये प्रथमतः रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 6 से चाहा गया तो बिना किसी अधिकार एवं आधार के संपूर्ण मूल प्रार्थना पत्र को परिवर्तित करने एवं अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 321 व 322 में से रास्ता दिया जाना उचित व न्यायसंगत है या नहीं बाबत् कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया गया जबकि खसरा नंबर 327 व 323/2 के रिकार्डेड खातेदारों के पक्षकार प्रकरण में सुनवाई करनी चाहिये थी । प्रार्थी खसरा नंबर 327 व 323/2 में से होकर अपनी आराजी में आता जाता रहा है किन्तु उक्त भूमि में से रास्ता नहीं देकर अपीलाधीन आदेश मनमाने तरीके से पारित किया है जो निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 को खसरा नंबर 220, 221, 222 बाबत् प्रकरण प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है क्योंकि स्वंय के द्वारा प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया गया है कि प्रार्थी रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 6 के खसरा संख्या 327 व 323/2 जो कि रास्ते से लगती हुई है उनके कब्जे काश्त की आराजी है तथा तहसीलदार एवं पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी को बिना सूचित किये ही एकतरफा में रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है जो उपरोक्त नजरी नक्शा से सिद्ध है जबकि मूल रास्ता खसरा नंबर 327 व 323/2 से लगता हुआ प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी की आराजी में आने जाने का रास्ता चला आ रहा है । रेस्पो0 संख्या 1 ने बदनियति से न्यायालय को गुमराह करने की नियत से गलत तथ्यों पर संशोधन प्रार्थना पत्र अपीलांट की भूमि हड़पने के उद्देश्य से पेश किया है । अपीलांट के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नंबर में कोई रास्ता न पूर्व में था न आज है, प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 व सींवजोड़ खसरा नंबर 327 के काश्तकार ने साजिश कर अपीलांट की भूमि को हड़प करने की नियत से संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पक्षकारान को मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना जल्दबाजी में न्यायिक प्रक्रिया के प्रतिकूल नॉन स्पीकिंग आदेश पारित किया है तथा अपने आदेश में संतोषजनक कारण भी अंकित नहीं किये है । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांटस ने न्यायिक

दृष्टांत 2016 आर0आर0टी0 पेज 1147 को उद्धरित किया । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी अभिभाषक से प्रकरण की दिनांक 1.5.2017 को जानकारी करने पर हुई तब प्रार्थीगण ने अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन कर, प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. हमनें अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील अपील में हआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 17 जा0दी0 पेश कर प्रार्थना पत्र की मूल प्रकृति को ही परिवर्तित कर दिया गया है जो कि आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 के मूल विधिक सिद्धांत के विपरीत है । अधी0न्याया0 द्वारा खसरा नंबर 321, 322, 323 एवं 327 में हितबद्ध पक्षकारों को बिना पक्षकार बनाये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिसंगत नहीं है । अधी0न्याया0 द्वारा मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी से मंगवाई गई जबकि धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक से अथवा उसके उपर के स्तर के अधिकारी से अथवा स्वंय न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण कर प्रकरण को तय करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय पारित किया गया है जो विधिसम्मत् नहीं है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.2.2017 निरस्त किया जाकर पत्रावली अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे प्रकरण में हितबद्ध पक्षकारों को पक्षकार कायम कर, तहसीलदार से विवादित रास्ते के संबंध में पक्षकारों की मौजूदगी में तैयार रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 24.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर